

# - कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/ विद्यालय व्यवस्था/2017/26

दिनांक 6/3/17

## कार्यालय आदेश

राज्य में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारु संचालन व दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विद्यालयों के कार्यप्रभार के संतुल्य में इस कार्यालय के समस्त अधिक आदेश दिनांक 20.01.2017 में संशोधन किये जाकर निम्नानुसार संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

- 1 किसी भी उप्राधि/प्राधि में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रधान का दायित्व/प्रभार उसके पास रहेगा।
- 2 वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने अथवा रद्दीकृत नहीं होने पर वरिष्ठतम अध्यापक/प्रबोधक पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान को दायित्व का निर्वहन किया जावेगा।
- 3 वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/प्रबोधक का पद रिक्त होने की स्थिति में शारीरिक शिक्षक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जावेगा।
- 4 उपर्युक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 से 3 तक के अलावा अन्य स्थिति होने पर वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी/पैराटीचर/ट्रेनी अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जावेगा। कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर होगा।

आज्ञा से  
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/ विद्यालय व्यवस्था/2017/

दिनांक 6/3/17

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उपनिदेशक, प्राशि राजस्थान, रागरत।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि राजस्थान रागरत।
- 3 कार्यालय प्रति।

  
अतिरिक्त निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर